



Neutral Citation No. - 2026:AHC:174437

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

**आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 482 बीएनएसएस संख्या -
7042/2026**

हीरालाल

.....आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) की ओर से अधिवक्ता : पंकज कुमार शर्मा

विपक्षी (गण) की ओर से अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 71

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला

1- आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया।

2- वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 301 सन् 2025, धारा 61(2), 109, 115(2), 191(2), 191(3), 352 बी.एन.एस., 2023, थाना-सोरो, जनपद-कासगंज में दाखिल किया गया है, जिसमें आवेदक को अग्रिम जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की गई है, क्योंकि आवेदक को उपर्युक्त प्रकरण में अपनी गिरफ्तारी की आशंका है।

3- आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक को वर्तमान प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। कथित अपराध से उसका कोई लेना-देना नहीं है, इसके बावजूद पुलिस आवेदक को गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है। आवेदक को एफ.आई.आर. में सात अन्य नामित अभियुक्तों तथा लगभग 50-60 अज्ञात व्यक्तियों के साथ नामित किया गया है। एफ.आई.आर. में आवेदक तथा अन्य सह-अभियुक्तों को एक सामान्य भूमिका सौंपी गई है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



एफ.आई.आर. में यह आरोप लगाया गया है कि अभियुक्तगण ने लाठी, धारदार हथियारों और देशी तमंचों से घायलों को चोटें कारित कीं। आगे यह तर्क दिया गया है कि दो व्यक्तियों, अर्थात् अनार सिंह और संतोष को कथित घटना में चोटें आईं। अनार सिंह की चोट रिपोर्ट के अनुसार, उसके शरीर पर दो चोटें आईं, जो साधारण प्रकृति की पाई गईं। संतोष की चोट रिपोर्ट के अनुसार, उसे एक चोट, अर्थात् उसके सीने के बाईं ओर अभिघातजन्य सूजन, आई, जो भी साधारण प्रकृति की पाई गई। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि बी.एन.एस. की धारा 109 के अंतर्गत कोई भी अपराध नहीं बनता है और आवेदक को सलाखों के पीछे रखने के उद्देश्य से धारा 109 जानबूझकर आरोपित की गई है। जब घायलों के बयान दर्ज किए गए, तब उन्होंने भी आवेदक और अन्य सह-अभियुक्तों को केवल एक सामान्य भूमिका आरोपित की। एफ.एस.एल. रिपोर्ट के अनुसार, आग्नेयास्त्र का कोई अवशेष नहीं पाया गया। आवेदक के एक प्रकरण के आपराधिक इतिहास को अग्रिम जमानत आवेदन के साथ संलग्न शपथपत्र में स्पष्ट किया गया है। समान स्थिति वाले सह-अभियुक्त मोहरपाल @ मोरपाल को इस न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत संख्या 5738 सन् 2026 में अग्रिम जमानत प्रदान की गई है। आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदक विवेचना एवं विचारण के दौरान सहयोग करने का वचन देता है और विवेचना अभिकरण अथवा संबंधित न्यायालय द्वारा जब भी अपेक्षित होगा, तब उपस्थित होगा। यह भी कहा गया है कि यदि आवेदक को अग्रिम जमानत प्रदान की जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा, विवेचना में सहयोग करेगा और न्यायालय द्वारा अधिरोपित की जाने वाली सभी शर्तों का पालन करेगा।

4- विद्वान ए.जी.ए. ने अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना का विरोध किया, तथापि, आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तथ्यों संबंधी प्रस्तुतियों का खंडन नहीं कर सके।

5- मैंने पक्षकारों की ओर से विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है।

6- एफ.आई.आर. में आवेदक को एक सामान्य भूमिका सौंपी गई है। घायल के शरीर पर आई चोटें गंभीर प्रकृति की अथवा जीवन के लिए खतरनाक नहीं पाई गई हैं। समान स्थिति वाले सह-अभियुक्त मोहरपाल @ मोरपाल को इस न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत प्रदान की गई है। आवेदक के आपराधिक इतिहास को संतोषजनक रूप से स्पष्ट किया गया है।



7- जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, प्रकरण के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मैं आवेदक को अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाना उचित समझता हूँ।

8- आवेदक का अग्रिम जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

9- आवेदक-**हीरालाल** की गिरफ्तारी की स्थिति में, जो उपर्युक्त मुकदमा अपराध में सम्मिलित है, उसे संबंधित थाने के थाना प्रभारी/न्यायालय की संतुष्टि पर समान राशि का व्यक्तिगत बंधपत्र और जमानत प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा:-

i- आवेदक जब भी अपेक्षित हो, पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए स्वयं को उपलब्ध कराएगा;

ii- आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, प्रकरण के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा, ताकि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख किया जा सके;

iii- आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा;

iv- आवेदक अभियोजन साक्षी पर दबाव नहीं डालेगा/उसे भयभीत नहीं करेगा;

10- उपर्युक्त में से किसी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, संबंधित न्यायालय को जमानत निरस्त करने की स्वतंत्रता होगी।

11- यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त की गई टिप्पणियां विशेष रूप से वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन के विनिश्चय के लिए हैं और उन्हें प्रकरण के गुण-दोष पर राय नहीं माना जाएगा।

18 अगस्त, 2026

कुशल

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला)